यह जानकारी है और कुछ रुपया लगाने की स्थिति में भी है इसलिए उनसे बातचीत जारी है कि इसको केवल स्टेट सेक्टर में रखा जाए या ज्वायन्ट सेक्टर में रखा जाए ।

Mismangement of M|s. Parle Group of Companies

†

*302. SHRI DHRAM DAS SHASTRI:

SHRI K. LAKKAPPA:

Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is true that there are certain complaints about mismanagement and irregularities in M|s. Parle Group of Companies, Bombay;

(b) whether the investigations has established the allegations against some persons;

(c) if so, the details thereof;

(d) whether any action has been taken by Government against the persons involved and if so, with what results; and

(e) if not, reasons therefor?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI P. SHIV SHANKAR): (a) No complaints have been received about mismangement and irregularities in Parle Group of Companies.

(b) Neither any investigation nor inspection under the provisions of the Companies Act, 1956, has been carried out in respect of any of the Parle Group of companies.

(c) to (e). Do not arise.

श्री धर्मदास शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से बड़े सम्मानपूर्वक पूछना चाहता हूं कि क्या यह बात सही नहीं है कि इसी पारले ग्रुप ने एक्साइज ड्यूटी में चोरी की है—30 करोड़ रु० की । इसके साथ साथ फारेन एक्सचेंज में 3 लाख 15 हजार 424 रु० का घोटाला किया । जब 6 मार्च को सवाल किया गया था तो बताया गया कि इन्होंने मशीन्स को एक्चुअल यूजर के रूप में इम्पोर्ट किया और बेच दिया—इस तरह के घोटाले सदन के सामने पेश हुए और साबित हो गए हैं । तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री महोदय को यह जानकारी नहीं है कि कम्पनी एक्ट के सैक्शन—235 और 237 में मांडलीगेटरी फंक्शन बन जाता है कि जब इस तरह के घोटाले सदन के सामने आ गए, तो कम्पनी ला मिनिस्टरी पूरी तरह से इसकी जांच करे और जांच करके उनके खिलाफ कोई न कोई एक्शन ले, खाली क्वेश्चन डज नाट अराइज कह देने से छूट नहीं मिल सकती है ।

श्री पी० शिव शंकर : अध्यक्ष महोदय, फर्ज कर लीजिए कि गड़बड़ हुई है—फारेन एक्सचेंज या मशीन आदि से हुई है, लेकिन यह मुझ से संबंधित बात नहीं है । लेकिन जहां तक कम्पनी एक्ट का सवाल है, उसका इन्सपैक्शन या इन्वैस्टीगेशन 209 के तहत और 237 के तहत किया जाता है । 6 तारीख की जो बात है, उस क्वेश्चन का जवाब कार्पोरेट मिनिस्ट्री ने ठीक से दिया है । अभी अगर ये साफ तरीके से हमारे सामने मामले को लाते हैं तो काफी घोटाले हैं, तो फिर देखा जा सकता है । इस तरह से घोटाले बोलने से घोटाला समझा नहीं जा सकता है ।

श्री धर्मवीर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने इस तरीके से इस बात को टालने की कोशिश की है । जब घोटाले साबित हो चुके हैं, तो इस तरह से आबलीगेटरी फंक्शन से कैसे बचा जा सकता है, जबकि सैक्शन 237 में ये सारे मामले लिखे हुए हैं और गवर्नमेंट के सामने सारे मामले आए हुए हैं, गवर्नमेंट उसकी जांच करवाइए । आपने अभी तक जांच कहां करवाई है । जब घोटाले सामने हैं, तो उसकी जांच करवाइए, लेकिन इस तरह से कह कर आप छूट नहीं सकते हैं ।

श्री पी० शिवशंकर : अध्यक्ष महोदय, घोटाले की बात तो ये पहली मर्तबा कर रहे हैं । यह मेरे इल्म में नहीं हैं । अगर घोटाले की बात सामने आती है, तो मैं जरूर देखूंगा । मैं आपसे पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि पहली मर्तबा आपके कहने से मालूम हो रहा है ।

SHRI K. LAKKAPPA: Sir, I seek your protection because of the reply given by the hon. Minister. Is the reply given by the hon. Minister cogent? I leave it to your discretion and judgment. This Ministry has got the full knowledge of irregularities and mismanagement, the Ministry of Company Affairs is aware of these. Under the Company Law, there is an obligation, there is a mandatory provision under sections 237 and 235; if the laws are violated, the Company Affairs Ministry *suo motu* has to inspect and also investigate. In this case, the whole world knows, Parliament knows, outside people know. Is this Ministry not aware of this? Have they not looked into the papers in spite of so much of publicity which has been given in the press? I would like to know why, under the mandatory provision under sections 237 and 235 of the Companies Act they have not investigated. Will the hon. Minister assure is that this matter will be investigated in full?

SHRI P. SHIV SHANKAR: Sir, I am aware that the Hon. Member is capable of expressing himself in brave words. But the point is when he says that the Company Law Administration is well aware of the irregularities and mismanagement and so on and so forth, that is what he presumes.

SHRI K. LAKKAPPA: No presumption. It is a statement of fact. I will not talk on presumption.

SHRI P. SHIV ANKAR: I am on my legs. I have not conceded, I seek your protection.

SHRI K. LAKKAPPA: I also seek your protection, Sir.

MR. SPEAKER: He has not even conceded the floor.

SHRI P. SHIV SHANKAR: Sir, the point is, so far as I am concerned, I have answered in Part (a) of the question that no complaints have been received. Therefore, this presumption itself is baseless.

Now, the other aspect of the question that *suo motu* inquiry should be gone into. Sir, it will be very difficult for me to go ahead with the inquiry because an allegation is made here. It would be very difficult for the Administration to go into the *suo motu* inquiry of the companies unless something comes to the light. It would not be fair in the administration of justice.

*(Interruptions)**

MR. SPEAKER: Sit down. Nothing is going on record without my permission.

SHRI HARIKESH BAHADUR: Sir, any type of complaint and bungling must be looked into and culprits must be punished. Sir, I would like

*Not recorded.

to tell the Hon. Minister of Law and Justice that at least this floor of the House should not be used to settle business rivalries.

MR. SPEAKER: No question. Over-ruled.

SHRI RATANSINH RAJDA: Sir, is the hon. Minister aware that already there is a case pending in the Esplanade Court of Bombay against the Parle Products, this very company, for breach of some rules? Now, Sir, the only thing I am surprised at is this very subject questions have been asked umpteen times; I think by proxy the questions are being asked. Now, Sir, once and far all let us decide it because the floor of the House should not be misused. If they have done something wrong, they must be hanged, but in accordance with law. The only thing I would like to know is how many litigations, how may cases, have been filed against this Company and whether there are other companies which are also involved in similar cases?

SHRI P. SHIV SHANKAR: Sir, I am saying that no complaint has been received. I do not know what they would like me to answer. I have made it clear in the answer and if you would like to say that there are some cases pending, I would welcome you to give me information so that I can take it up.

SHRI RATANSINH RAJDA: It is already pending in the Esplanade Court of Bombay.

आचार्य भगवान देव : अध्यक्ष महोदय, कुख्यात पार्ले कम्पनी के सम्बन्ध में स्वर्गीय युवा नेता संजय गांधी ने प्रथम बार यहां सवाल उठाया था । इस के सम्बन्ध में 4 दिन पूर्व—6 मार्च को—वाणिज्य मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया है—प्रश्न के उत्तर के (क) भाग में स्वीकार किया है कि कम्पनी ने तीन मशीनें इम्पोर्ट की थीं. . . .

अध्यक्ष महोदय : यह तो पुराना सवाल है ।

आचार्य भगवान—देव मंत्री जी कहते हैं कि अनियमिततायें नहीं हैं, नियम-विरुद्ध कार्य नहीं किया गया है—उन्होंने तीन मशीनें लाकर. . . . .

अध्यक्ष महोदय : इस का जवाब पहले आ चुका है ।

आचार्य भगवान देव : लेकिन मंत्री जी स्वीकार नहीं कर रहे हैं । सी० बी० आई० ने एन्कवायरी की है, लेकिन मंत्री जी कह रहे हैं कि उस के खिलाफ शिकायत नहीं है । या तो वाणिज्य मंत्री जी ** बोलते हैं या न्याय मंत्री जी गलत ब्यानी कर रहे हैं या उन के मंत्रालय के व्यक्ति गलत बयानी कर रहे हैं या उनके मंत्रालय के व्यक्ति गलत बयानी कर रहे हैं ।. . . .

अध्यक्ष महोदय : आप ने उन का जवाब सुना होता तो ऐसा नहीं कहते । यह उस परव्यू में नहीं आता है । तीन बार मशीन खरीद कर के नियम विरुद्ध उन्होंने बेचा है, चंडीगढ़ से हैदराबाद, हैदराबाद से अमृतसर—कई स्थानों पर—अमृतसर से नागपुर ।

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल करिये ।

श्री भगवान देव आचार्य : मैं यह पूछ रहा हूं कि ये जो अनियमितता हुई है वह सही है या नहीं ? अगर सही है, तो मंत्री जी इस सम्बन्ध में क्या करना चाहते हैं और कम्पनी ला में वह बात आती है या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : 'यह' शब्द नहीं रहेगा ।

श्री पी० शिव शंकर : हमारे डिपार्टमेंट के इल्म में कोई कम्प्लेंट अभी

**Expunged as ordered by the Chair.

तक नहीं आई है और वह मैंने आप से निवेदन कर दिया है ।

Seminar on Reporting for Radio

+

*303. SHRI RAM VILAS PASWAN:
SHRI RAJESH KUMAR SINGH:

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to lay a statement showing:

(a) whether it is a fact that a Seminar on reporting for Radio was held in Delhi recently;

(b) if so, the salient features of the suggestions made at the Seminar; and

(c) reaction of Government with regard thereto?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI KUMUDBEN M. JOSHI): (a) Yes Sir.

(b) No specific suggestions were made or resolutions passed at the Conference. However, in the course of the speeches and the discussions which followed, some ideas have been thrown up. A report on the proceedings of the Seminar is under preparation.

(c) The question of Government's reaction will arise only after the report is received and studied.

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, ** शब्द अनपार्लियामेण्टरी है लेकिन यह बिल्कुल असत्य है, जो मंत्री महोदय ने अपने जवाब में दिया है ।

श्री मनी राम बागड़ी : 'असत्य' और ** में कोई फर्क है क्या ?

श्री राम विलास पासवान : अपने जवाब में उन्होंने कहा है :

"No specific suggestions were made...."

और फिर उन्होंने कहा है :

"In the course of the speeches and the discussions...."

मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो मैं आप को बतलाता उस दिन की पूरी प्रोसीडिंग्स पढ़ कर । मंत्री जी, साठे साहब स्वयं वहां मौजूद थे और उन्होंने भी सजेश्चन दिया था । दूसरों की बात तो छोड़ दीजिए, साठे साहब ने भी सजेश्चन दिया था । कुमारी कुमुदबेन जोशी ने शायद कोई सजेश्चन न दिया हो, लेकिन उन्होंने स्वयं सजेश्चन दिया है । उस दिन बहुत से सुझाव आए थे और रेडियो और टेलीवीजन को ग्रोटोनामी देने के पक्ष में भी सुझाव थे । आप यदि कहें, तो मैं नाम दे सकता हूं कि किन किन लोगों ने सुझाव दिये थे । विभिन्न समाचारपत्रों के सम्पादक वहां थे और उन के नाम मैं दे सकता हूं लेकिन उस की आवश्यकता नहीं है । मैं यह पूछना चाहता हूं कि उन सुझावों को ध्यान में रख कर क्या सरकार टी० वी० और रेडियो को स्वायत्तता प्रदान करेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री बसंत साठे) : जहां तक सुझावों का सवाल है, जितने भी सुझाव वहां दिये गये थे, वे सारे एकत्रित कर के कम्पाइल किये जा रहे हैं और उस की एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है और उन सब पर विचार किया जाएगा ।

जहां तक स्वायत्तता का सवाल है, सरकार ने अपनी भूमिका इसके पहले स्पष्ट कर दी है कि स्वायत्तता देने और सम्पूर्ण स्वायत्त संगठन बनाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता । व्यवस्थागत—फंक्शनल ग्रोटोनामी जिसे कहते हैं—, जितनी स्वायत्तता देनी चाहिए, उतनी दे रहे हैं, आज भी दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे ।

**Expunged as ordered by the Chair.